न्यायालय–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– गोपाल परिहार आर,ए,एस

अपील संख्या :–19/2012

अपीलान्ट

01.श्रीमती ककुबाई पत्नी स्व. श्री टाऊराम, जाति पटेल, निवासी गांव झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेंट :–

01. नारायणराम पुत्र आईदानराम, जाति पटेल, निवासी नारनाडी। हाल गांव झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
02. श्रीमती मीमा पुत्री स्व. श्री शेराराम पत्नी नारयणराम, निवासी गांव झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
03. श्रीमती चम्पा पुत्री स्व. श्री शेराराम पत्नी नेनाराम, निवासी गांव डोली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
04. सरपंच, ग्राम पंचायत झंवर।

अधिवक्ता उपस्थितः–

01..अपीलाण्ट की ओर से सत्यानारायण राजपुरोहित उपस्थित

02. रेस्पोडेन्ट की ओर से कानाराम गोदारा उपस्थित।

–:: आदेश ::– दिनांक 5/1/2022

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। इस प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई है एवं रेस्पोडेंट की ओर से भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में यह उल्लेखित किया कि अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झंवर के खसर नम्बर 412 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 414 रकबा 5 बिस्वा, रकबा 80 बीघा 6 बिस्वा भूमि शेराराम, टाऊराम पुत्रगण अमेदराम की खातेदारी की थी तथा खसरा नम्बर 342, 343 शेराराम, टाऊराम व अन्य की सह–खातेदारी का था। टाऊराम के फौत होने पर फौतेदगी म्युटेशन संख्या 650 उसके भाई शेराराम के नाम से स्वीकृत किया गया, जबकि अपीलान्ट ककूदेवी स्व. टाऊराम की विवाहिता पत्नी है एवं प्रथम श्रेणी की वारिस है, इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जहां प्रथम श्रेणी की वारिस जिन्दा हो, वहां द्वितीय श्रेणी के वारिस के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सकता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

की वारिस मृतक टाऊराम की विधवा पत्नी ककू बाई है इसलिए उसकी पत्नी के नाम म्युटेशन स्वीकृत करना कानूनन आवश्यक था। सरपंच ग्राम पंचायत झंवर द्वारा गलत रूप से मृतक के भाई शेराराम के नाम म्युटेशन स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है। म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। म्युटेशन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है, जिस पर मियाद का बंधन लागू नहीं होता है एवं इस अपील का मेरिट पर निर्णय किया जाना उचित है। अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में यह भी उल्लेखित किया कि म्युटेशन जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया एवं एकतरफा आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट हल्का पटवारी से मिली एवं जमाबंदी की नकल मांगी तो पटवारी ने दिनांक 06.06.2012 को यह बताया कि फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत हो गया है जिस पर दिनांक 06.06.2012 को उसे म्युटेशन जैर अपील की जानकारी हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां मेरिट पर मजबूत प्रकरण हो, वहां पर म्याद के तकनिकी बिन्दू के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए।

03. अपीलान्ट ककूबाई ने अपील के साथ मृतक टाऊराम की पत्नी होने के बाबत निम्न दरतावेज प्रस्तुत किये :–

(1) कार्यालय ग्राम पंचायत झंवर का प्रमाण पत्र दिनांक 20.04.2014,

(2) ग्राम पंचायत झंवर का प्रमाण पत्र दिनांक 12.06.2015,

(3) पहचान पत्र निर्वाचन आयोग,

(4) वोटर लिस्ट लूणी विधानसभा क्षैत्र संख्या 130 वर्ष 1998,

(5) वोटर लिस्ट लूणी विधानसभा निर्वाचन क्षैत्र संख्या 130 वर्ष 2009,

(6) उप–तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2015 (उपरोक्त सभी दस्तावेजात में ककू बाई के पति का नाम टाऊराम लिखा हुआ है)

अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1- 1982 RRD 332

2- 1990 RRD 644

3- 2009(2) RRT 1102 (HC)

4- RRD 1999 319 (HC)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

- 1999 RRD 173 (SC)
6- 1998 RRD 465
7- 2015 (2) CCC 248 (SC)
8- 2013(1) RLW 268 (HC)

अंत में अपीलान्ट ने म्युटेशन जैर अपील को निरस्त करते हुए मृतक टाऊराम की पत्नी अपीलान्ट के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने की प्रार्थना चाही।

रेस्पोडेंट की ओर से लिखित बहस में प्रभुराम का कुर्सीनामा व सिमरथराम का कुर्सीनामा उल्लेखित करते हुए यह कथन किया कि अमेदराम के दो पुत्र शेराराम व टाऊराम हुए थे। बडे पुत्र शेराराम के दो वर्ष पश्चात छोटा पुत्र टाऊराम उत्पन्न हुआ था। अमेदराम की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण अमेदराम अपने जीवनकाल में केवल एक पुत्र शेराराम की शादी ही कर पाया था। अमेदराम का दूसरा पुत्र पेट की बीमारी से पीडित रहता था। शेराराम के वैवाहिक जीवन में केवल दो पुत्रियां ही हुई थी, कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। शेराराम के मौहल्ले, गली में रहने वाले सिमरथाराम की पुत्री ककूदेवी का वैवाहिक संबंध करना था तब शेराराम ने सिमरथराम से गुजारिश की थी कि उनके कोई पुत्र नहीं है और उनके भाई टाऊराम की उम्र ज्यादा हो गई है, वैवाहिक संबंध नहीं हो रहा है, तब सिमरथराम ने कहा कि लडके व लडकी के बीच उम्र का फासला 25 वर्ष का है, विवाह करना मुश्किल है, तब शेराराम की गुजारिश के बाद सिमरथराम ने संबंध के लिए हां कर दी थी। सामाजिक स्तर पर चर्चा हो गई थी कि सिमरथराम ने अपनी पुत्री कुकूदेवी का संबंध शेराराम के भाई टाऊराम से कर दिया है। ककूदेवी की शादी की उम्र होने पर शादी के लिए कहा तो ककूदेवी ने शादी से इंकार यह कहते हुए किया कि लडका उम्र में लडकी से 25 वर्ष बडा है और बीमार है। सिमरथराम ने समझाईश की थी कि समाज में सबंध की चर्चा हो गई है, अब दूसरी जगह शादी नहीं हो सकती है। ककूदेवी ने स्पष्ट कर दिया कि वह शादी ही नहीं करेगी, ईश्वर की भक्ति करती रहेगी। ककूदेवी के घर वाले ककूदेवी को शेराराम के परिवार में जाने को कहते रहे और ककूदेवी शादी से इंकार कर भगवान भक्ति करना कहती रही थी। सन 1978 में टाऊराम की 50 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, तब ककूदेवी की उम्र 25 वर्ष थी। ककूदेवी ने अपना जीवन भक्तिभाव में लगा दिया और गांव में ककूदेवी की जगह ककूबाई के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। अभी ककूबाई जोधपुर स्थित मिल्कमैन कॉलोनी में मंदिर में भक्ति भाव करती है और कभी–कभी चुतराराम पुत्र हेमाराम के घर पर रहती है। इस प्रकार ककूबाई कभी भी टाऊराम की पत्नी नहीं रही है। टाऊराम की मृत्यु के बाद ककूबाई सभी से प्रेमभाव रखती थी। रेस्पोडेंट माडी से भी प्रेमभाव रखती थी और साथ आती–जाती रही है। इसके अलावा नामान्तरकरण एवं अन्य दस्तावेजों का उल्लेख लिखित बहस में किया तथा अपनी लिखित बहस में यह उल्लेखित किया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कि अपील 34 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है, इसलिए अपील जाहिरा मियाद बाहर है। ककूदेवी मृतक टाऊराम की पत्नी है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। रेस्पोडेंट की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :–

1- RRT 2010(2) Page 1222

2- RRT 20121) Page 374

3- RRT 2012(2) Page 1250

4- RRD 2010 Page 281

5- RRT 2013(2) Page 1054 DB High Court

6- RRT 2014-15 (SUPP) Page 467

7- RRT 2017(1) Page 117 High Court

8- RRT 2015 (1) Page 232 High Court

9- Supreme Court of India order Dated 15-01-2007

दोनों पक्षों की लिखित बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। ग्राम पंचायत झंवर का प्रमाण पत्र दिनांक 20.04.2014, ग्राम पंचायत झंवर का प्रमाण पत्र दिनांक 12.06.2015, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग, वोटल लिस्ट वर्ष 1998, वोटर लिस्ट वर्ष 2009 एवं उप–तहसीलदार, झंवर की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2015 का अवलोकन करने से यह बखूबी स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ककूदेवी मृतक टाऊराम की पत्नी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जहां प्रथम श्रेणी का वारिस हो, वहां द्वितीय श्रेणी के वारिस के नाम म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलान्ट ककूदेवी मृतक टाऊराम की पत्नी होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस थी, इसलिए मृतक टाऊराम के भाई शेराराम के पक्ष में जो म्युटेशन संख्या 650 स्वीकृत किया गया है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक मियाद का प्रश्न है, अपीलान्ट की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है, उनमें यह उल्लेखित किया गया है कि जहां मेरिट का मजबूत प्रकरण एवं केस हो, वहां मियाद के तकनिकी बिन्दू के आधार पर किसी को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए एवं इन न्यायिक दृष्टांतों में जहां मेरिट का केस हो, वहां देरी को निरस्त करना उचित व न्यायसंगत माना गया है। अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने यह कथन किया है कि वह पटवारी हल्का से मिली एवं जमाबंदी की नकल मांगी तो उसे म्युटेशन के संबंध में जानकारी हुई। अपीलान्ट अकेली विधवा स्त्री भी है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अपीलान्ट

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है कि अपीलान्ट मृतक टाऊराम की पत्नी है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से होती है। ऐसी स्थिति में टाऊराम की धर्मपत्नी जिन्दा होने की स्थिति में टाऊराम के भाई शेराराम के पक्ष में जो म्युटेशन संख्या 650 दिनांक 28.11.1978 को स्वीकृत किया गया है, वह गलत एवं विधि विरूद्ध है।

अतः ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत झँवर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सख्यॉं 650 दिनॉक 28.11.1978 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि मृतक ताऊराम पुत्र स्व0 अमेदाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जिला जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

आदेश आज दिनांक 5/1/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जिला जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी